

73



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट डीड



Varesh Kumar  
 7 606071e  
 Reg. No.- 10403  
 Hsil Compound, HAPUR

मैं दीपक कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह अपने स्वस्थ मन, बुद्धि, ज्ञान बिना किसी दबाव के प्रभाव अपने आत्मोत्थान सामाजोत्थान के लिए निम्न वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंकन 10000/(दस हजार रूपयें मात्र) से " आधार वेलफेयर ट्रस्ट " की स्थापना निम्न रूप से करता हूँ। वर्तमान में ट्रस्ट के पास इसके अलावा अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। इस राशि का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों एवं कार्य हेतू ट्रस्ट द्वारा ही किया जायेगा। ट्रस्ट का नाम कार्यालय संरचना, उद्देश्य, व्यवस्था ट्रस्टीगणों के नाम एवं ट्रस्ट के नियमों को अपने हस्ताक्षरों से लिपिवद्ध करता हूँ

स्टाम्प शुल्क 1,000/-रूपये। (मोबाईल नंबर 9927856459) (दीपक कुमार)  
 संस्थापक ट्रस्टी

1. ट्रस्ट का नाम :- आधार वेलफेयर ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय :- ग्राम - फाजिलपुर उर्फ मोरपुर बुलन्दशहर रोड, पड़ाव हापुड पिन - 245101

यह ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं होगा।

(ट्रस्ट की प्रबधन कमेटी अपने प्रस्ताव द्वारा समय और आवश्यकता के अनुसार ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन कर सकती है। तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालय/उप कार्यालय आरम्भ कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एवं प्रबधन कमेटी के अध्यक्ष का समर्थन अनिवार्य होगा)

3. कार्यक्षेत्र :- सुमस्त भारतवर्ष
4. उद्देश्य :- निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

*Devi...*  
*Gyanendra Kumar*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

**मुख्य उद्देश्य:-**

1. ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय एकता साम्प्रदायिक-सदभावना, आर्थिक-निर्भरता, सामाजिक-समानता, नैतिकता एवं सुचरित्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण, वृक्षारोपण, कृषि विविधिकरण, ग्राम्य विकास एवं मद-निषेध आदि क्षेत्रों के प्रति जागृत शिक्षित/प्रशिक्षित समर्पित एवं सक्रिय करने के साथ जारी एवं तैयार कार्यक्रमों को लागू करना।
2. ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा उनके सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा सृजनात्मक संवाद और परस्पर सहयोग/समन्वय हेतु आवश्यक कार्यक्रमों/योजनाओं को तैयार करके लागू करना/योजनाओं के लाभार्थी सदस्यों का पंजीकरण करना तथा उन्हें उनकी कार्य प्रगति के आधार पर अर्थिक प्रोत्साहन और पुरस्कार देना।
3. समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त दहेज, बलात्कार अशिक्षा, वैश्यावृत्ति, शोषण एवं बाल-विवाह, आदि प्रमुख समस्याओं के विरुद्ध स्वस्थ जनमत जाग्रत करना तथा निराश्रित विधवा महिलाओं को विधिक अधिकारों, साक्षरता, स्वरोजगार, आदि सहायताओं की योजनाओं को तैयार एवं लागू करना।
4. ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र में इंजिनियरींग कॉलेज, टेक्नीकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, खेल अकादमी डॉस एवं एक्टिंग इंस्टीट्यूट, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फार्मसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डेन्टल कालेज, आधुनिक मेडीसन, हैम्योपैथिक, पैरामेडिकल कालेज, कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेट्रीज, वोकेशनल इंस्टीट्यूट आदि स्थापित करना, चालू करना निश्चित करना सामंजस्य करना, सम्बद्ध करना, निर्देशित करना आदि

Anand Kumar



क्र० सं० 64 अंश सं० 100 दिनांक 27-11-17  
 रदाय्य क्रय करने का प्रयोजन  
 नाम  
 पति

निष्पादन लेखपत्र बाद पुनर्निर्माण व समीक्षा प्रकल्प के अंतर्गत व प्राप्ति धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी:1 अशोक कुमार त्यागी

श्री श्रीकृष्ण कुमारी कौशिकी का कार्यालय सं० 31

तहसील हापुड़ जिला हापुड़

पुत्र श्री-मोहन सिंह की अद्यत्ति 21-3-2017

*(Handwritten signature)*



व्यवसाय : व्यापार

निवासी : 95 सरस्वती बिहार केस-2, रोहता रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ

न्यासी 2:1

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार

पुत्र श्री हरवीर सिंह

*(Handwritten signature: Jyaneendra Kumar)*



व्यवसाय व्यापार

निवासी : ग्राम महमूदपुर तहसील व जिला हापुडा

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विजय कुमार गौड

*(Handwritten signature: Vijay Kumar Gaud)*

पुत्र श्री नरेश चन्द गौड



व्यवसाय : व्यापार

निवासी : न्यू शिवपुरी हापुड तहसील व जिला हापुडा

पहचानकर्ता : 2

श्री अजय कुमार

*(Handwritten signature: Ajay Kumar)*

पुत्र श्री महावीर सिंह



व्यवसाय : व्यापार

निवासी : ग्राम नवादा तहसील व जिला हापुडा

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

परभारी

उप विधक : हापुड 2

हापुड







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DR 015085

3

5. छात्र वृत्ति, छात्र सहायता एवं दूसरे भत्तो रियायतो अथवा परिपक्वता जैसे कि योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों एवं अभियार्थियों की सहायता एवं उनकी भारतवर्ष में या विदेश में कहीं भी अध्ययन या अतिरिक्त अध्ययन के लिये भेजना। गरीब व अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना।
6. गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना गरीब व बीमार व्यक्तियों को सहायता व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
7. चिकित्सा सेवा, चिकित्सा अन्वेषण, स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण देना एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न गतिविधियों में संगठित करना।
8. ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र के अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए लोगों के विकास एवं उत्थान के लिए उन्हें जागरूक करना एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण एवं परामर्श के साथ जारी। तैयार कार्यक्रमों को लागू करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण शिविर, सेमीनार, वर्कशॉप, सम्मेलन, व्याख्यान माला, एवं प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना। और अन्य वे कार्य जिन्हें ट्रस्ट की प्रबंधन कमेटी ट्रस्ट के उद्देश्यों और कार्यक्रमों की पूर्णता में आवश्यक समझे, करने का प्रयास करना, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की सहायक ट्रस्ट/सहकारी ट्रस्ट/कम्पनी की स्थापना एवं संचालन करना।
10. ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र के विकलांग युवक/युवतियों को आत्मनिर्भर तथा पूर्ण स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रयास करना तथा इस हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन कराकर सामूहिक रोजगार परक योजनाओं से जुड़ने में सहयोग प्रदान करना।

Gyanendra Kumar



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 797657

4

11. बालश्रम, कोढ़, केन्सर, एड्स, कुपोषण, नशे की प्रवृत्ति आदि उन्मूलन अथवा अन्य किसी महामारी के समय सहयोग प्रदान करना।
12. जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्यो से जितना आवश्यक है परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना व कल्याण हेतु मातृ एवं शिशु देख-रेख के कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाना।
13. समाज के निर्धन व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रभावित होने की दशा में सहायता पहुँचाना एवं उनका सहयोग करना।
14. हास्पिटल, क्लीनिक, डिस्पेंसरीज, मेन्टेलिटी हाउस, चाइल्ड, वैलफेयर एवं फेमिली वेलफेयर, एवं डॉयग्नोसिस सेन्टर की व्यवस्था कराना, नीति बनाना एवं इनको व्यवस्थित करना एवं समाज कल्याण अथवा मानवहितकारी योजना का क्रियान्वयन करना।
15. ग्रामीण व्यक्तियों को ग्रामीण उद्योगो एवं दूसरी ग्रामीण गतिविधियों से सम्बंधित अथवा इन उद्योगो में किसी भी प्रकार की दुर्घटना शैक्षिक एवं दूसरे उद्योगो की स्थापना के लिए उनको प्रोत्साहित करना एवं उनकी सहायता करना।
16. उन विभिन्न गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो समाज में लोगो के मध्य एकता की भावना विकसित करने का प्रयास करे एवं इस तरह की साहित्यिक पुस्तको पत्रो आदि का प्रकाशन करना एवं पुस्तको के प्रकाशन में सहायता देना जिनसे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के विकास को प्रोत्साहन मिले।
17. ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र में वाचनालयो, पुस्तकालयो, छात्रावासो, वृद्धाश्रमो, नारीनिकेतन, अनाथआश्रम, क्रीडास्थल, आदि ट्रस्टो की स्थापना संचालन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
18. समय-समय पर राष्ट्रीय राज्य व ब्लाक स्तर पर खेलकूद सामान्यज्ञान प्रतियोगिता कराना युवाओ को साहसिक प्रकृति सामाजिक कौशल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, के प्रति प्रोत्साहित करना व ऐसे कार्यक्रमो का संचालन करना।



Gyanendra Kumar

Page 4 of 16





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


5

32AA 071457

19. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए चैरिटी का कोई अन्य कार्य करना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सरकारी गैर सरकारी अर्ध सरकारी स्वयं सेवी ट्रस्टओ/ट्रस्टो खादी ग्रामोद्योग कमीशन/बोर्ड अथवा समाज कल्याण बोर्ड की योजनाओ कार्यकर्मा तथा सहायताओ को प्राप्त करके उन्हे अधिक से अधिक सदउपयोगी बनाने का प्रयास करना तथा ऐसी ट्रस्टओ से सहयोग व समन्वय स्थापित करना जो ट्रस्ट के उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतू वित्ति अथवा अन्य संसाधन उपलब्ध कराती है।

**सहायक उद्देश्यः—** ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए ट्रस्टी निम्नकार्यो को कर सकता है अथवा करने की आज्ञा दे सकता है।

1. स्वेच्छापूर्ण उपहारो का लेना अथवा ना लेना किसी व्यक्ति वित्तीय संस्थान, कम्पनी .....किसी विदेशी कम्पनी संस्थान या व्यक्ति से दान, उपहार, भूमि, भवन, तथा चल व अचल सम्पत्ति, अनुदान व उपहार स्वरूप प्राप्त करना जिसका उद्देश्य ट्रस्ट को लाभ पहुंचाने मे सहायता प्रदान करता हो
2. कोई भी भूमि, इमारत, अपार्टमेन्ट सामूहिक खेल भूमि, पार्क, हॉस्टल, घर अन्य इमारत अथवा किसी भी अन्य अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट से सम्बन्धित हो उसका निर्माण एवं मरम्मत कराना अथवा ट्रस्ट द्वारा अधिकृत एवं परिवर्तन विस्तार सुधार मरम्मत निर्मित इमारतो में परिवर्तन करना एवं प्रकाश जल निकासी फर्नीचर, फिटिंग संयंत्र एवं उपकरण एवं दूसरी सभी आवश्यक वस्तुएं जो ट्रस्ट की इमारत के लिए आवश्यक हो व्यवस्था एवं नियंत्रण करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए भवन, भूमि, दुकान, आफिस कय करना पट्टे या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्वारा अन्य साधनो से प्राप्त करना व नियंत्रण रखना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए ट्रस्ट को किसी भी चल व अचल सम्पत्ति को बिकी करना, गिरवी रखना या पट्टे पर रखना या उपपट्टे पर देना, किराये, उपहार अथवा उनका हस्तान्तरण स्थानान्तरण या उनको नष्ट करना या भी ट्रस्ट के हित में हो।



Gyanendra Kumar

Page 5 of 19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

32AA 071458

5. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये किसी वित्तिय संस्थान, निगम या बैंक सरकारी गैरसरकारी मान्यता प्राप्त से (प्रतिभूति रहित या प्रतिभूति सहित) ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना जो भी ट्रस्ट के हित मे लाभप्रद हो।
6. ट्रस्ट के किसी भी धन का विनियोग करना एवं जो ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिये तुरन्त आवश्यक न हो एवं जो ट्रस्टओ के द्वारा समय के अनुसार और कानून के अधीन लागू होने वाला हो।
7. ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त कर्मचारियो को परिश्रमिक देना अथवा सेवानिवृत्ति देना स्टॉफ और दूसरे कर्मचारियो को वेतन देना एवं उनका भविष्यनिधि एवं दूसरी निधियो मे सहायता प्रदान करना।
8. सभी अराजनैतिक कार्यों को करना वैधानिक व शान्तिपूर्ण कार्यों को करना एवं ऐसी गतिविधियो की देख-रेख करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति में सहायक है।
9. इसी प्रकार के उद्देश्यो की संस्था समाज अथवा कोई दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट का अधिग्रहण करना अथवा समिश्रण करना।
10. ट्रस्ट का उद्देश्य पूर्णतया न लाभ न हानि के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा।
11. ऋण प्राप्त करना अथवा ऋण देना (प्रतिभूति सहित अथवा रहित) उन दशाओ मे जिसमे प्रतिभूति एवं ब्याज की दर इत्यादि जैसा की कोई निर्धारित करता है किसी बैंक से वित्तिय संस्थान से निगम से अथवा अन्य किसी व्यक्ति से जो ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करता हो।
5. **ट्रस्ट की सदस्यता:-** ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र में रहने वाला भारत का ऐसा नागरिक जो इस ट्रस्ट के उद्देश्य कार्यक्रमो एवं नियमो मे आस्था एवं विश्वास रखता है। 21 वर्ष या अधिक आयु का हो नैतिक आचरण वाला हो दिवालिया व पागल न हो सर्वोदयी विचार वाला हो संस्थापक ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया जा सकेगा ट्रस्टीयो के निम्न वर्ग होंगे।
1. **संस्थापक ट्रस्टी :-** दीपक कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह 95, सरस्वती बिहार फौस II रोहटा रोड मेरठ ट्रस्ट के संस्थापक एवं आजीवन ट्रस्टी होंगे। संस्थापक ट्रस्टी की मृत्यु अथवा त्याग पत्र देने। स्वीकृत होने के पश्चात उसका कोई वैधानिक उत्तराधिकारी इस पद का कार्यभार संभालेगा संस्थापक ट्रस्टी ट्रस्ट का विस्तार करते रहेंगे। जैसे की ऊपर कार्यों में दिया

Gyanendra Kumar

Page 6 of 19



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

32AA 071459

गया है। संस्थापक ट्रस्टी की सदस्यता आजीवन रहेगी। एवं उनको ट्रस्ट से सेवामुक्त या हटाया नहीं जायेगा। जब तक कि वह स्वैच्छिक ना ले या वैधानिक रूप से अक्षम न हो जाये। संस्थापक ट्रस्टी का ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति, भागीदारी एवं मत देने का अधिकार होगा। संस्थापक ट्रस्टी अपनी सदस्यता किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है।

2. आजीवन ट्रस्टी :-

1. ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरवीर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट महमूदपुर तहसील व जिला हापुड़।
2. श्रीमति आदेश देवी पत्नी श्री बन्टी निवासी ग्राम व पोस्ट महमूदपुर तहसील व जिला हापुड़।

आजीवन ट्रस्टी की सदस्यता आजीवन होगी। जब तक वह स्वयं त्याग पत्र ना दे दे, ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी को ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। किसी भी आजीवन ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात उसका वैधानिक उत्तराधिकारी ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी रहेगा।

3. सम्मानित ट्रस्टी:- ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को पूरा करने में विशिष्ट सहयोगी होने/ योगदान करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा सम्मानित ट्रस्टी नियुक्त करते हुये सदस्यता की शर्तें एवं अधिकार भी निर्धारित किये जायेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऐसे ट्रस्टीयो का कार्य- काल भी निर्धारित कर सकते हैं। सम्मानित ट्रस्टी को ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने का व मत देने का अधिकार नहीं होगा।



*Handwritten signature*

*Gyanendra Kumar*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

32AA 071460

नामित सदस्य : बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा प्रबंध कमेटी में दो नामित सदस्यों को रखा जायेगा। दो कार्यकाल पूर्ण होने पश्चात ही ऐसे सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त होगा।

4. ट्रस्ट की सदस्यता से हटाया जाना :- किसी सदस्य के दिवालिया होने अनैतिक, दुस्चरित्रता या अन्य किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने पर या मृत्यु होने पर त्यागपत्र देने या ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने व नियमों का उल्लंघन करने पर अथवा निरन्तर 3 बार बैठक में उपस्थित ना होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सहमति अनिवार्य होगी। त्याग पत्र देने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति का त्याग पत्र स्वीकार किये जाने तक धारित दायित्व पूर्ण रूपेण उस पर भारित रहेगा।
6. सदस्यों का मण्डल :- (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज)  
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के सभी मामलो या शासन करने, नियन्त्रण करने और प्रबंधन करने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत होंगे। ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट को चलाने और ट्रस्ट को बन्द करने के भी अधिकारी होंगे ट्रस्ट के सभी आजीवन ट्रस्टी ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होंगे। ट्रस्ट के उत्तम प्रशासन एवं प्रबंधन एवं कार्यों के सुचारु संचालन के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपने सदस्यों में से ही प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करेंगे जो ट्रस्ट के प्रबंधन कार्यों की देख-भाल करेंगे। यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उचित पाते हैं तो आजीवन ट्रस्टीयों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी ट्रस्ट की प्रबंधकारिणी कमेटी में सम्मिलित कर सकते हैं। जिसका चयन सभी आजीवन ट्रस्टीयों व संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से किया जायेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपप्रबंधकारिणी कमेटी का गठन भी कर सकते हैं। यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसे उचित समझते हैं।

Gyanendra Kumar



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9


32AA 071461

7. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की वार्षिक साधारण सभा :-

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक एक या एक से अधिक ट्रस्टीयो की लिखित आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जा सकती है अन्यथा साधारण सभा वर्ष में एक बार होगी या जैसे कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उचित समझे।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 7 दिनों के नोटिस पर बुलायी जायेगी। लेकिन आपातकालीन बैठक आपातकालीन नोटिस पर भी बुलायी जा सकती है।
3. बैठक गणपूर्ती (कोरम) सभी ट्रस्टीयों की सहमति, उपस्थिति व एक मत प्रस्ताव पर मान्य होगी कोरम के आभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी जिसको किसी अन्य दिन बुलाया जायेगा।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की प्रत्येक सभा का दस्तावेज रखा जायेगा। एवं उस बैठक के बाद चेयर पर्सन द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कोई भी प्रस्ताव ट्रस्ट के सभी आजीवन ट्रस्टीयों की स्वीकृति द्वारा पास किया जा सकेगा।

8. बोर्ड की शक्तियाँ :- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेंगे एवं सामान्य दशा में सभी शक्तियों को ट्रस्ट के कार्य को सुविधाजनक एवं प्रभावशाली सम्पादित करने के लिए प्रबंधन कमेटी को सौंपेंगे। अथवा किसी भ्रम व विवाद की स्थिति में वर्तमान प्रबंधन कमेटी को भंग कर नयी प्रबंधन कमेटी का गठन कर ट्रस्ट के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन करेंगे।

1. दान, चंदा, उपहार, भूमि भवन, चल अचल सम्पत्ति, उपहार स्वरूप किसी व्यक्ति कम्पनी, बैठक, फर्म समूह, हिन्दू अभिभाजित परिवार (HUF) अथवा फौमिली ट्रस्ट या ट्रस्ट अथवा सरकार की और से स्वीकार करना।
2. ट्रस्ट की सम्पत्तियो एवं परिसरों को संरक्षित सुधारने एवं व्यवस्थित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यों को करना।



*Signature*

Gyanendra Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

32AA 071462

3. ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्तियों को बेचना या किराये पर देना या पटटे या उप पटटे पर उस अवधि उन नियमों व शर्तों पर देना व उसकी क्षति से संबन्धित कोई भी समझौता करना जैसा की ट्रस्टियों को उचित व उपयुक्त लगे।
4. ट्रस्ट के कोष या सम्पत्तियों का विनियोग आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करना जिसको ट्रस्टियों के द्वारा उचित एवं उपयुक्त माना जाये।
5. उस प्रकार की दशाओं या शर्तों पर जैसा की बोर्ड निर्धारित करता है। ऋण लेना अथवा ऋण देना (प्रतिभूति रहित अथवा सहित) प्रतिभूति एवं ब्याज की दर निर्धारित करना इत्यादी किसी भी बैंक से, वित्त संस्थान से सहकारी तंत्र अथवा किसी अन्य व्यक्ति से/ को ऋण लेना व देना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।
6. जैसा की उल्लेखित है कि ट्रस्टी एकमत प्रस्ताव रखते हैं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा कोई दूसरा सार्थक एक्ट के अधीन एक चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना जिससे की ट्रस्ट की सभी या कोई भी सम्पत्ति एवं आय का हस्तान्तरण किया जा सके। एवं उन पर प्रस्ताव प्रारित किया जा सके एवं ट्रस्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्टियों की सहमति के द्वारा कोई भी संशोधन किया जा सके।
7. किसी भी तरह का बैंक खाता खोलने के लिये चाहे वह चालू खाता, बचत खाता, स्थायी खाता, अधिविकर्ष अथवा ट्रस्ट के नाम खोले जाने वाला खाता जिसको संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। अथवा अन्य रूप से प्रधिकृत हस्ताक्षरित की नियुक्ति द्वारा अथवा कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के एजेंट के रूप में हो एवं जिसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उपयुक्त मानते हो। खाता ट्रस्ट के अध्यक्ष महासचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो या तीनों प्रदाधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

Gyanendra Kumar

*[Signature]*






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

32AA 071463

8. ट्रस्टीयो को अधिकार है कि वे ट्रस्ट की सम्पत्तियो एवं परिसम्पत्तियो की गारन्टी देना, जिससे बैंक की गारन्टी भी शामिल है। एवं व्यक्ति/व्यक्तियो, संस्थान/संस्थानो, को सुरक्षा देना जैसा की ट्रस्ट के द्वारा समय के अनुसार इसको उपयुक्त समझे। कोई भी ट्रस्टी व्यक्ति गत रूप से इस प्रकार गारन्टी अथवा सुरक्षा देने का अधिकारी नही होगा अन्यथा यह उसकी स्वैच्छापूर्वक किया जाने वाला कार्य समझा जायेगा।
9. ट्रस्ट कोष से सम्बन्धित अथवा अन्य कोई मामला जो ट्रस्ट के प्रबंधन से सम्बन्धित हो उसका समायोजन करना, स्थापित करना, समझौता करना, मध्यस्थता के लिये आगे बढ़ाना, मुकदमेबाजी दावेदारी मांगो को ध्यान मे लाना है।
10. इस ट्रस्ट और इसकी सम्पत्तियो का किसी दूसरी ट्रस्ट समाज, चैरिटेबल, संस्थान के साथ समिश्रण करना जिसका उद्देश्य इस ट्रस्ट के उद्देश्यो के समान हो। एवं जिसे ट्रस्टी समय के अनुसार उपयुक्त एवं उचित मानते हो।
11. स्व-उपहार, पट्टा, अथवा ट्रस्ट की अचल सम्पत्तियों को हस्तान्तरण करना अथवा उनकी बिक्री द्वारा एकत्रित धन भी ट्रस्ट फंड का हिस्सा होगा एवं उसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपने विचारो के अनुसार उपयुक्त पाते हुये इसको लागू करेंगे।
12. वकीलो, याचिकाकर्ताओ अधिवक्ताओ को मुकदमे लडने के लिये एवं मुकदमा करने के लिये जो मुकदमे ट्रस्ट के विरुद्ध हो की नियुक्ति करना। किराया धन से सम्बन्धित मुकदमो को फाइल कराना एवं शेष भुगतान जो दूसरे पक्ष से सम्बन्धित हो एवं इसी प्रकार से प्रार्थना पत्रों, याचिकाओ, दस्तावेज या इसकी कार्यवाहियो पर हस्ताक्षर करना एवं उनको सम्पादित करना एवं इस प्रकार की शक्तियों अथवा कर्मचारी स्टॉफ की शक्तियो एवं ट्रस्टीयो की शक्तियो को समय के अनुसार समायोजन करना।



Gyanendra Kumar



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12

32AA 071464

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य अथवा पूर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार देना चाहे वह पेशेवर हो या ट्रस्ट के कर्मचारी हो। उन्हें सरकारी अर्द्ध सरकारी, कार्यालयों निकायो एवं दूसरे सरकारी संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करना। उन कथनों दस्तावेजों एवं कागजों को दायर करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करते हो।
14. ट्रस्ट के ट्रस्टी किसी भी दूसरी प्रकार के व्ययों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं ट्रस्ट कोष से स्वयं प्रतिपूर्ति करने के लिए अधिकारी होंगे। जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें एवं ट्रस्ट की सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकें।
15. ट्रस्ट के सुचारु संचालन के लिये ट्रस्टी विभिन्न श्रेणियों से स्वयं सेवक सदस्यों को व्यय सहित अथवा व्यय रहित शामिल कर सकते हैं जिसे ट्रस्ट के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप माना जायेगा।
9. **उत्तरदायित्व:-** ट्रस्ट ट्रस्टीयों की व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप किये गये कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **ट्रस्ट की प्रबंधन व्यवस्था:-** ट्रस्ट की प्रबंधन व्यवस्था ट्रस्ट की प्रबंधन कमेटी और पदाधिकारीयों के माध्यम से निम्न प्रकार की जायेगी।
- (क) **प्रबंधन कमेटी :-** ट्रस्ट के संस्थापक आजीवन और सम्मानित ट्रस्टीयों से मिलकर ट्रस्ट की प्रबंधन कमेटी का गठन होगा जिससे अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य होंगे।
- (ख) **प्रबंधन कमेटी के अधिकार एवं कर्तव्य :-**
  1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट की कार्य पद्धति निर्धारित करना।
  2. ट्रस्ट के कार्यक्रमों, वार्षिक बजट एवं निधि निर्धारित, के प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय करना।
  3. ट्रस्ट के स्वीकृत बजट से अधिक खर्चों पर स्वीकृति प्रदान करना।
  4. ट्रस्ट के लेखा परिक्षा प्रतिवेदनों एवं लेखा परिक्षा प्रमाण पत्र पर विचार एवं निर्णय करना।
  5. ट्रस्ट के सफल एवं कुशल संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नई कार्य पद्धति बनाना। जो की ट्रस्ट डीड/नियमों के विरुद्ध न हो तथा ट्रस्ट के कुशल प्रबंधन हेतु समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

*Handwritten signature*

Gyanendra Kumar

Page 12 of 19



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

32AA 071465

6. ट्रस्ट की निर्वाचन प्रक्रिया का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों और कार्यक्रमों की पूर्णता हेतु अन्य दायित्वों एवं अधिकारों का पालन करना।
8. किसी पदाधिकारी की आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थान को अर्ह सदस्यों में से आमेलन द्वारा भरना। लेकिन इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस समयवाधि तक ही कार्य करेगा। जिस पदाधिकारी का पद उसने लिया है।
9. ट्रस्ट की प्रबन्धन कमेटी में निम्न पदाधिकारी होंगे। तथा उनके निम्नलिखित अधिकार एवं दायित्व होंगे।

### अध्यक्ष/चैयरमैन

1. ट्रस्ट की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना, अपना नियन्त्रण अनुशासन, एवं व्यवस्था बनाये रखना, तथा समान मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
2. ट्रस्ट के बैंक खाते का महासचिव के साथ संयुक्त रूप से संचालन करना।
3. समय-समय पर ट्रस्ट के लेखों का निरीक्षण करना।
4. ट्रस्ट के समस्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों को हस्ताक्षरित व प्रमाणित करना।

### महासचिव/मैनेजर

1. प्रबन्धन कमेटी एवं अध्यक्ष के नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन के अन्तर्गत हुये ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
2. ट्रस्ट की बैठकों अध्यक्ष के निर्देशों के अन्तर्गत नियमों के अनुसार आयोजित करना। तथा बैठक में समुचित व्यवस्था करने के साथ सम्पूर्ण कार्यवाही को लिपिवद्ध करना या कराना।
3. ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को तैयार करना/उनका रख-रखाव करना तथा ट्रस्ट के अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना।
4. ट्रस्ट का गत वर्ष का हिसाब किताब अगले वर्ष का बजट तथा कार्य प्रगति ट्रस्ट की बैठकों में अध्यक्ष से अनुमोदित कराकर रखना एवं पारित होने के उपरान्त आवश्यक कियान्वयन करना।

Gyanendra Kumar



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14

32AA 071466

5. ट्रस्ट के कार्यों हेतु किये गये खर्च के रुपये 15000/- तक के व्यय प्रमाणको को प्रमाणित एवं स्वीकृत करना तथा रू0 15000/- से अधिक के व्यय प्रमाण को स्वीकृति हेतु अध्यक्ष को अग्रसारित करना।
6. ट्रस्ट की प्रबन्धन कमेटी के कार्यकाल के समाप्त होने के 30 दिन पूर्व तक ट्रस्ट की प्रबन्धन कमेटी द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार नयी प्रबन्धन कमेटी का निर्वाचन कराना।
7. अन्य अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना जोकि प्रबन्धन कमेटी या अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाये।

### कोषाध्यक्ष/ट्रेजर :-

1. ट्रस्ट के समस्त आय- व्यय का हिसाब रखना तथा ट्रस्ट के समस्त धन को बैंक खाते में जमा करना/तथा नियमानुसार व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना तथा कैश बुक एवं लेजर बुक को लिखना एवं प्रमाणित और हस्ताक्षरित करना नियमानुसार अग्रिम मॉगपत्रों पर भी भुगतान किया जा सकता है।
2. अध्यक्ष व महासचिव के साथ संयुक्त रूप से ट्रस्ट के खाते का संचालन करना व अपने पास अधिकतम 20000/रुपये कैश इन हैंड रखना तथा नियमानुसार व्यय प्रमाण को अग्रसारित करना।

सदस्य :- नियमानुसार बुलाई बैठक में भाग लेना, विचार विमर्श करना तथा सौंपे गये अन्य दायित्वों एवं अधिकारों का प्रयोग करना।

### 11. बैठक :-

1. प्रबन्धन कमेटी की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। प्रबन्धन कमेटी की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति (कोरम) प्रबन्धन कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति उपस्थिति व एक मत प्रस्ताव पर मान्य होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक दूसरी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी।

*Handwritten signature*

*Gyanendra Kumar*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15


35AD 800150

12. **ट्रस्ट के फण्ड :-** ट्रस्ट का फण्ड प्रबन्धन कमेटी द्वारा निर्धारित सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक, डाकघर, सहकारी, बैंक में रखा जायेगा। खाते का संचालन अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा उपयुक्त समझा जाये।
13. **नियम व शर्त :-** नियम व शर्त प्रबन्धन कमेटी द्वारा निर्धारित किये जायेगें। जिन्हे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा निर्देशित किया जायेगा। प्रबन्धन कमेटी विभिन्न कार्यालय धारको के अधिकार का प्रतिनिधित्व अथवा उनको वापिस भी ले सकती है। एवं ट्रस्ट के सुचारु संचालन के लिये विभिन्न समितियों को भंग भी कर सकती है।
14. **खाते एवं अकेक्षण :-** ट्रस्ट सभी प्राप्तियां एवं भगुतान सम्पत्तियों एवं दायित्वो के नियमित एवं उचित खातों की देख रेख करेगी। ऐसे खाते ट्रस्ट के कार्यालय में रखे जायेगे। एवं सभी संस्थापक ट्रस्टी/ आजीवन ट्रस्टी को उपलब्ध कराये जायेगे।
15. **वित्तीय वर्ष :-** वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा/बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नियुक्त अन्त लेखा परीक्षक आय-व्यय का ऑडिट करेगे तथा प्रति कार्यकाल का आवश्यक होने पर सरकार सी० ए० द्वारा भी ऑडिट कराया जायेगा।
16. **नियमावली में संसोधन :-** इस नियमावली में जिन नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है समय व आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव पारित करके आवश्यक नियम बनाये जा सकेंगे। तथा नये उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को लागू एवं संचालित किया जा सकेगा।
17. **ट्रस्ट के लिये प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति एवं धनराशि तथा अन्य प्राप्तियाँ** ट्रस्ट के नाम से ही प्राप्त की जायेगी जिसकी सुरक्षा व्यवस्था एवं सदुपयोग के लिये प्रबन्धन कमेटी के प्रत्येक सदस्य का संयुक्त रूप से व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होगा। तथा उसकी सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था प्रबन्धन कमेटी द्वारा की जायेगी।

*[Signature]*

Gyanendra Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

35AD 800151

18. ट्रस्ट के पंजीकृत इन नियमों की व्याख्या एवं निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी भ्रम विवाद की दशा में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का निर्णय मान्य होगा।
19. ट्रस्ट का कोई सदस्य या पदाधिकारी अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित करते हुये महासचिव को देगा जिसे प्रबन्धन कमेटी द्वारा स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लिया जायेगा।
20. प्रबन्धन कमेटी एवं अध्यक्ष के अधीन रहते हुये महासचिव ट्रस्ट के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति से सेवा समाप्ति तक प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगा तथा उन्हें कार्य, दायित्व एवं अधिकार सौंपेगा अथवा वापस लेगा जैसा भी वह ट्रस्ट हित में उचित समझे।
21. ट्रस्ट प्रतिवर्ष समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहायनीय योगदान करने वाले एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान करेगी।
22. ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा महासचिव ट्रस्ट के दैनिक खर्चों के लिये अपने-अपने पास कमशः रु० 5000 एवं रु० 5000 रख सकते हैं तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के लिये स्वविवेकानुसार खर्च कर सकते हैं तथा तदोपरान्त उक्त खर्चों को नियमानुसार यथा आवश्यक प्रामाणित एवं अभिलिखित करना होगा।
23. ट्रस्ट के बाहर ट्रस्ट के किसी अभिलेख की प्रामाणित प्रति अधिनियम एवं नियम की व्यवस्था के अधीन ही दी जायेगी। तथा ऐसी प्रति पर अध्यक्ष एवं महासचिव की मोहर तथा हस्ताक्षर होने आवश्यक है।
24. प्रबन्धन कमेटी का कार्यकाल:- ट्रस्ट की निबन्धन की तिथि से अग्रिम पाँच वर्षों तक प्रथम प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल तथा ट्रस्ट की पदासीन कमेटी नव निर्वाचित कमेटी द्वारा पद ग्रहण करने तक पदासीन रहेगी।
25. ट्रस्ट की समाप्ति :- ट्रस्ट अपनी गतिविधियों को बन्द कर सकती है अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक बुलाकर ऐसा उचित समझते हैं एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 21 दिन पूर्व तक नोटिस द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाये। ट्रस्ट की समाप्ति पर ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के दायित्वों या देन दारी के पश्चात बच जाती है। तो ट्रस्टियों में ना बॉटकर ऐसी संस्था या ट्रस्ट को सौंप दी जायेगी जिसके उद्देश्य इसी ट्रस्ट के अनुरूप होंगे।

*Prakash*

*Gyanendra Kumar*

Page 16 of 19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17

35AD 800152

26. प्रथम प्रबन्ध कार्यकारिणी कमेटी:-  
ट्रस्ट के ट्रस्टीगण जिनको उत्तरदायित्व सौंपा है और जिन्होंने अपने पद व उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है-


क्र.0 स.0	पदनाम	नाम और पिता/पति का नाम	आयु	पता
1	अध्यक्ष/चैयरमैन	ज्ञानेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरवीर सिंह	39	ग्राम महमूदपुर तहसील व जिला हापुड़।
2	प्रबन्धक/मैनेजर	दीपक कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह	35	95, सरस्वती विहार फेस-2, रोहटा रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ।
3	कोषाध्यक्ष/ट्रेजरर	श्रीमति आदेश देवी पत्नी श्री बन्दी	35	ग्राम महमूदपुर तहसील व जिला हापुड़।
4	सदस्य/मैम्बर	नीरज कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह	35	ग्राम घुंघराला तहसील व जिला हापुड़।
5	सदस्य/मैम्बर	सजिन मलिक पुत्र श्री ओमपाल सिंह मलिक	33	ग्राम भदौडा पोस्ट रोहटा तहसील व जिला मेरठ।

27. उत्तर प्रदेश शासन से अनांपत्ति ग्रामाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों की बाध्यता होगी।

*[Handwritten signature]*

*Gyanendra Kumar*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18

35AD 800153


प्रतिबन्धों की बाध्यता :

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय - समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति में मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पदतः मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सर्जकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

*Shankar*

*Gyanendra Kumar*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19

35AD 800154

8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमत्य शुल्कमुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।


*Rajesh* / *Gyanendra Kumar*

*Rajesh*  
गवाह :- विजय कुमार गौड़ पुत्र श्री नरेश चन्द गौड़ निवासी न्यू शिवपुरी हापुड़।  
(9897428616)

*अजय कुमार*  
गवाह :- अजय कुमार पुत्र स्व० श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम नवादा जिला हापुड़।  
(8218416988)

*Naresh Kumar*  
मसौदा :- नरेश चौधरी एडवोकेट तहसील कम्पाउन्ड हापुड़।  
दिनांक :- 27-11-2017

*Naresh Kumar*  
Advocate  
Reg. No.- 10403  
Tehsil Compound, HAPUR



Page 19 of 19



# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये



Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ पत्र

66AD 032680

समक्ष:- श्रीमान सक्षम अधिकारी ।

शपथ पत्र ओर से ज्ञानेन्द्र कुमार (अध्यक्ष) पुत्र श्री हरवीर सिंह व श्रीमति आदेश देवी (कोषाध्यक्ष) पत्नी बन्टी निवासी गण ग्राम महमूदपुर परगना व तहसील व जिला हापुड़ निम्न प्रकार शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि :-

- 1- यह कि हमारे उपरोक्त नाम व पता सही है ।
- 2- यह कि हम शपथकर्ता गण आधार वैलफेयर ट्रस्ट के कमशः अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष है तथा उक्त ट्रस्ट के सभी तथ्यों से भली-भाँति परिचित हैं ।
- 3- यह कि आधार वैलफेयर ट्रस्ट के प्रबन्धक/मैनेजर दीपक कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी 95, सरस्वती विहार फेस-2 रोहटा रोड़ मेरठ का दिनांक 27-08-2018 का आकस्मिक निधन हो गया है । जिनकी पत्नी श्रीमति रजनी रानी है ।

4- यह कि दिनांक 24-09-2018 को आधार वैलफेयर ट्रस्ट की साधारण सभा द्वारा सर्वसम्मति से मृतक दीपक कुमार की पत्नी श्रीमति रजनी रानी पत्नी स्व० दीपक कुमार निवासी 95, सरस्वती विहार फेस-2 रोहटा रोड़ मेरठ को प्रबन्धक/मैनेजर के पद नियुक्त किया गया है जिन्हें मृतक दीपक कुमार के समान ही पूर्ण अधिकार आधार वैलफेयर ट्रस्ट में प्राप्त रहेंगे जिसमें आधार वैलफेयर ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी एवं सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है ।

सत्यापन: शपथ पत्र की उपरोक्त सभी धाराएं हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सत्य हैं कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है ।

स्थान:- हापुड़ दिनांक 10-10-2018

शपथकर्ता  
AADHAR WELFARE TRUST  
Fazilpur/Morpur, B. Shahr Road  
Padaw Distt. Hapur

आदेश देवी  
(treasurer)

AADHAR WELFARE TRUST  
Fazilpur/Morpur, B. Shahr Road  
Padaw Distt. Hapur

Jyaganendra Kumar

ATTESTED  
RUSHIKA SAINI  
Notary Advocate  
INDIA (Reg. No. 4941)  
HAPUR



क्र० १३५ १० ८-१०-१४  
पत्रांक..... दिनांक.....

स्टाम्प प्रत्येक करने का प्रयोजन.....

नाम..... राजेश कुमार शर्मा

पता.....

148248L

श्री राजेश कुमार शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता का लाईसेंस नं० ३  
तहसील क० रामपुर जिला रामपुर  
सामान्य को. पत्रांक ११-२-२०१४